झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या....03........ वर्ष 2022..........

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती प्रमिला देवी एवं अन्य
ग्रा0+पो0+पं0 - पेटरवार, बोकारो।

DISPOSED
14/06/2022

बनाम

प्रतिवादी 1. DSO, बोकारो
2. BSO, पेटरवार
3. PDS विरतक वैष्णवी महिला समिति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	शिकायतकर्त्ता श्रीमती प्रमिला देवी, ग्रा0+पो0–पं0–पेटरवार, जिला–बोकारो का शिकायत दिनांक–08.12.2021 को आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये वाट्सएप नं0 पर प्राप्त हुआ। जिसमें शिकायतकर्त्ता प्रमिला देवी एवं अन्य द्वारा PDS वितरक वैष्णवी महिला समिति के विरूद्ध माह सितम्बर में 01 से 05 युनिट तक चावल काटकर वितरण किये जाने, इसका विरोध करने पर राशन कार्ड काट दिये जाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा उक्त मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। सुनवाई की तिथि दिनांक–17.02.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / PDS वितरक वैष्णवी महिला समिति को नोटिस भेजा जाय। सूचना शिकायतकर्त्ता को देते हुए नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र में ऑनलाईन सुनवाई में उपस्थित रहने का निदेश दिया जाय। सुनवाई की तिथि 28/02/2022. Ranjan 31/01/2022 01/02/2022.	

D:\Premlata\Final Court Order.docx17

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252263

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	C.S.C की सहमति नहीं प्राप्त होने की वजह से सुनवाई V.C / W.App के माध्यम से की जाएगी। अपीलकर्ता को सूचित किया जाए।	
	Rajan 14/02/2022	
	Internet नहीं रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो पायी। द्वितीय पक्ष को अनुपस्थित रहने का कारण पृच्छा करते हुए दिनांक 3/03/2022 को 12 बजे whatsapp पर उपस्थित रहने एवं द्वितीय पक्ष को कार्यालय में उपस्थित होने कहा जाए।	
	Rajan 28/02/2022	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–03.03.2022 को वाद सं0–03/2022 के मामले में सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष से श्रीमती प्रमिला देवी व अन्य, पेटरवार, बोकारो विडीयो कॉल के माध्यम से उपस्थित रहीं। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो अनुपस्थित रहे। सुनवाई के क्रम में प्रथम पक्ष श्रीमती प्रमिला देवी, पति श्री दीपचन्द्र प्रसाद जो (प्रगति पब्लिक स्कूल) प्राईवेट स्कूल के Sports Teacher है। उनका शिकायत था कि उन्हें सिर्फ माह सितम्बर 2020 में 5 कि0ग्रा0 कम राशन वितरित किया गया था। उसके बाद से अब तक राशन सही समय पर और सही मात्रा में वितरित किया जाता रहा है। द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो की अनुपस्थिति में उन्हें चेतावनी देते हुए पुनः सुनवाई की अगली तिथि को जाँच प्रतिवेदन के साथ आयोग न्यायालय के कक्ष में उपस्थित होने के संबंध में कहा गया। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–23 मार्च 2022 को निर्धारित की जाती है। Sd/- 3.3.22 (शबनम परवीन) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। Ranjana 03/03/2022 (डॉ0 रंजना कुमारी) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। अगली तिथि 28/03/2022 को 22वाँ पाद Ranjana 14/03/2022. C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 49	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	अंचलाधिकारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में शिकायतकर्ता को शिकायत को नहीं होने की संपुष्टि की गई है; परंतु नेटवर्क की समस्या के कारण शिकायतकर्ता से इसकी संपुष्टि नहीं की जा सकी है। अतः इस केस की सुनवाई पुनः 28/04/2022 को रखी जाए। नोटिस निर्गत करें। Rejan 22/04/22.	
	आज दिनांक–28.04.2022 को वाद सं0–03/2022 के मामले में सुनवाई की गईः– अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, पेटरवार का पत्रांक–246 दिनांक–21.03.2022 द्वारा मामले में जाँच प्रतिवेदन एवं कार्डधारी का लिखित बयान आयोग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें वर्तमान में जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा सही मात्रा एवं ससमय राशन उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख है। इसकी पुष्टि शिकायतकर्ता से नहीं हो सकी। अतः उक्त मामले में सुनवाई की अगली तिथि 14.06.2022 को निर्धारित की जाती है। एतद् संबंधी नोटिस निर्गत किया जाय। 18.5.22 **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 18/05/22 **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.06.2022	आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि उन्हें अब राशन डीलर से कोई शिकायत नहीं है। डिजिटल माध्यम से सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का कहना है कि शिकायतकर्ता, श्रीमती प्रमिला देवी व अन्य ने लिखित रूप से जानकारी दी है कि उनके शिकायत का निष्पादन कर दिया गया है, अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का निर्देश देता है कि वे इस मामले में सम्बन्धित अधिकारी या व्यक्ति की पहचान करें, जिनकी वजह से शिकायतकर्ता को शिकायत करनी पड़ी। शिकायत का निराकरण कर देना पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को सख्ती से लागू करने के लिये यह आवश्यक है कि जनता को हुई परेशानी के कारणों का पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता को हुई परेशानी की गहनता से जाँच कर दोषियों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई की जाय। इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx11	